म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल
E-mail - legalvidhimpsamb@gmail.com

क्र0/बोर्ड/विधि/विविध/जन/01/2022/मा.बैठ./ 1135 भोपाल, दिनांक 26-4-2023

प्रति,

संयुक्त संचालक/उपसंचालक,
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
आंचलिक कार्यालय................. (समस्त)

विषयः- माननीय उच्च न्यायालय में लंबित न्यायालयीन प्रकरणों एवं अवमानना प्रकरणों के संबंध में ।

-000-

विषय सन्दर्भ में अग्रलिखित सारणी का अवलोकन करें, उल्लेखित प्रकरणों में आपको प्रभारी अधिकारी नामित किया गया है ।

सारणी (अवमानना/न्यायालयीन प्रकरण)

क्रं	संभाग	कुल प्रकरण		जवाबदावा प्रस्तुत		जवाबदावा हेतु शेष	
		अवमानना	न्यायालयीन	अवमानना	न्यायालयीन	अवमानना	न्यायालयीन
1.	जबलपुर	50	206	25	193	25	13
2.	ग्वालियर	01	135	01	135	00	00
3.	इन्दौर	02	142	00	138	02	04
4.	उज्जैन	03	138	01	134	02	04
5.	भोपाल	00	88	00	83	00	05
6.	सागर	04	83	03	82	01	01
7.	रीवा	01	73	00	72	01	01
	कुल योग-	61	865	30	837	31	28

प्रभारी अधिकारी के रूप में न्यायालयीन प्रकरणों के निराकरण हेतु अग्रलिखित कार्यों का संपादन करने की अपेक्षा की जाती, कि वहः-

1. तथ्यों के बारे में तुरंत ऐसी जांच करें, जैसी की आवश्यक हो और याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी जिसमें कि मामले के संचालन में अभिभाषक/नियुक्त अधिवक्ता को सहायता पहुँचने की संभावना है,

म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल
E-mail - legalvidhimpsamb@gmail.com

रिपोर्ट तैयार करेगा। यदि किसी प्रकरण पर शासन/प्रशासकीय विभाग से परामर्श किया गया था, तो उस विभाग की राय भी रिपोर्ट में निर्दिष्ट की जाएगी।

2. समस्त सुसंगत फाइले, दस्तावेज, नियम, अधिसूचनाऐं तथा आदेश एकत्रित करें ।
3. वाद पत्र पैरा अनुसार उत्तर और ऐसी याचिका में उठाये गए समस्त बिन्दुओं का/अतिरिक्त जानकारी देते हुये, जिनमें की अधिवक्ता को सहायता पहुंचने की संभावना है एक रिपोर्ट तैयार करें ।
4. उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ अधिवक्ता से संपर्क करेगा ।
5. अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन तैयार करवाएगा ।
6. प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागज पत्र भेजेगा -:
   (क) वाद पत्र की एक प्रति के साथ प्रकरण का विस्तृत वितरण एवं अभिमत ।
   (ख) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप ।
   (ग) उन सभी दस्तावेजों की एक सूची जिसकी प्रस्तुत रिपोर्ट में अपेक्षा की गई है जिन्हे साक्ष्य स्वरूप फाइल करना प्रस्तावित है ।
   (घ) मामले के विरूद्धीकरण के लिए आवश्यक कागज़ पत्रों की प्रतियाँ इसमें वाद की सुनवाई की तारीख भी वर्णित होनी चाहिये ।
7. मामले की तैयारी और संचालन करने में अधिवक्ता का सहयोग करना और प्रकरण की प्रगति एवं निराकरण हेतु किये गये कार्यों से स्वयं को सदैव ही अवगत रखना।
8. जब भी कोई आदेश निर्देश/विशिष्टतया मध्यप्रदेश राज्य शासन/ म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड के विरुद्ध पारित किया जाता है। तब म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड को तत्काल सूचित करना तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिये उसी दिन या आगामी कार्य दिवस का आवेदन करना।
9. अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा अधिवक्ता का अभिमत आगामी कार्यवाही किए जाने के लिये मुख्यालय को भेजना ।
10. प्रकरण के संबंध में प्रभारी अधिकारी के पास अद्यतन स्थिति की जानकारी सदैव उपलब्ध होनी चाहिए तथा अधिवक्ता से सतत संपर्क स्थापित रहना चाहिए जिससे आवेदन करने, प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने, राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में समय नष्ट नहीं हो।
11. प्रभारी अधिकारी का स्थानांतरण होने की स्थिति में वह अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा। वह वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात् भी तब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा, जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाये।

म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल
E-mail - legalvidhimpsamb@gmail.com

12.प्रभारी अधिकारी मामले तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देगा तथा इस बावत के लिये उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य या दस्तावेज अप्रकाशित /छुपी हुई नहीं रह जाये।

13.प्रभारी अधिकारी इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि उन मामलों में जहाँ किसी वाद के प्रकरण में पारित किये गये किसी अंतिम आदेश का पुनरीक्षण या कार्यवाही अपेक्षित है उक्त आदेश की प्रति (अपनी अनुशंसा सहित) जैसे ही वह पारित किया जावे म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड को अग्रेषित करें ।

14.जैसे ही वाद का अंतिम विनिश्चय होता है, निर्णय की एक प्रति प्राप्त की जाए और रिपोर्ट के साथ म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड को प्रस्तुत करें ।

उपरोक्तानुसार दायित्वों के अनुरूप माननीय उच्च न्यायालयों में दायर शासन/मण्डी बोर्ड/मंडी समितियों के विचाराधीन लंबित प्रकरण एवं अवमानना प्रकरणों पर यथोचित कार्यवाही कर मंडी बोर्ड मुख्यालय भोपाल को पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें ।

(गौतम सिंह, IAS)
अपर संचालक, (विधि)
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल